43

संख्या–20/1–1991–2007–का–2

प्रेषक,

जे0 एस0 दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4–सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

लखनऊ दिनांक 25 जून, 2007

विषय–राज्याधीन लोक सेवाओं में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) का बैकलाग पूरा किया जाना।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–22/43/82/का–2/2007 दिनांक 22 मई, 2007 द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं में आरक्षित वर्गों की अनभरी रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग को विशेष अभियान चला कर पूरा किये जाने विषयक निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं। उसी के क्रम में यह स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 (अध्यादेश संख्या सन् 2007) दिनांक 02 जून, 2007 को प्रख्यापित कर दिया गया है जिससे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 अब अस्तित्व में नहीं है तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विघटित हो गया है। अतः समूह 'ग' के ऐसे पद जो विभागीय सेवा नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की परिधि में थे लोक सेवा आयोग को स्वतः वापस हो गये हैं।

अतः वर्णित स्थिति में अब नियुक्ति प्राधिकारी लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर भर्ती करने की शक्ति रखते है और वर्तमान में भर्ती करने के लिए उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लक सेवा आयोग के परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर चयन प्रक्रिया नियमावली, 2002 यथासंशोधित नियमावली, 2003 उपलब्ध है। आरक्षित वर्गों के बैकलाग को भरने की कार्यवाही विकेन्द्रित व्यवस्था के अन्तर्गत ही नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर पूर्व से विद्यमान समूह 'ग' चयन प्रक्रिया नियमावली, 2002 यथासंशोधित 2003 के अधीन करने का निर्णय लिया गया है। इस नियमावली में विद्यमान महत्वपूर्ण प्राविधान निम्नवत् है :–

1–इस नियमावली से लोक सेवा आयेाग के बाहर के पदों पर भर्ती करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को दिया गया है।

2–अभ्यर्थियों के चयन के लिए किसी लिखित परीक्षा का प्राविधान नियमावली में नहीं रखा गया है, अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत पर अंक दिये जाने की व्यवस्था है।

3–उक्त के साथ पचास अंकों का साक्षात्कार रखा गया है। चयन के लिए कुल 100 अंक रखे गये है। इस आधार पर (प्राप्तांकों के प्रतिशत पर अंक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर) श्रेष्ठता सूची बनाये जाने की व्यवस्था है।

4–आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है।

5–भर्ती करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की व्यवस्था है जिसमें अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के एक–एक सदस्य तथा भर्ती किये जाने वाले पद के संबंध में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले

अधिकारी को नामित करने की व्यवस्था है तथा समिति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारी रखा जायेगा।

6–जिन पदों के लिए कोई शारीरिक मानक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित है उन पर शारीरिक परीक्षण कराने की व्यवस्था है।

7–चयन में छटनीशुदा कर्मचारी व कुशल खिलाड़ी को भी वेटेज (नियत अंक) दिये जाने की व्यवस्था है।

मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पुनश्च यह भी अनुरोध है कि इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारीगण को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

जे० एस० दीपक,
प्रमुख सचिव, वित्त।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

पी० एन० यादव,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 6 सा०नियुक्ति–27.6.2007–(564)–3000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।